संचिका सं0–18 / विविध–17 / 2024 1511 /

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

उमा शंकर सिंह, भा0प्र0से0
सरकार के प्रभारी सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त–सह–अध्यक्ष
जिला शिक्षा स्थापना समिति, झारखण्ड।
सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, झारखण्ड।
सभी जिला शिक्षा अधीक्षक, झारखण्ड।

राँची, दिनांक 18/12/2024/

विषय :– **राज्य के सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक / प्रधानाध्यापक के पारस्परिक अंतर जिला स्थानान्तरण के संबंध में।**

प्रसंगः– निदेशालीय पत्रांक–1434 दिनांक 03.12.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प सं0–2093 दिनांक 06.08.2019 यथा संशोधित अधिसूचना सं0–1556 दिनांक 08.06.2022 के क्रम में राज्य के सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों / प्रधानाध्यापकों के पारस्परिक अंतर जिला स्थानान्तरण के ऑनलाईन पोर्टल तैयार किया गया है।

पारस्परिक स्थानान्तरण के लिए निम्नरूपेण समय सीमा निर्धारित की गई है–

शिक्षकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने की तिथि	दिनांक 19.12.2024 से दिनांक 18.02.2025 तक
जिला शिक्षा पदाधिकारी / जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा ऑनलाईन आवेदनों का सत्यापन	दिनांक 18.03.2025 तक
जिला शिक्षा स्थापना समिति का अनुमोदन एवं राज्य स्तरीय समिति के लॉगिन पर ऑनलाईन अग्रसारण	दिनांक 18.04.2025 तक

पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु ऑनलाईन आवेदन के लिए दोनों पक्षों का सहमति आवश्यक है। पारस्परिक स्थानान्तरण के लिए User Manual एवं सहमति पत्र का प्रारूप https://teachertransfer.jharkhand.gov.in/ से Download किया जा सकता है।

अतएव निदेश दिया जाता है कि राज्य के सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत इच्छुक शिक्षकों / प्रधानाध्यापकों के पारस्परिक अंतर जिला स्थानान्तरण के **Teacher Transfer Portal** पर ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने की सूचना को प्रचारित / प्रसारित करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

18/12/24

(उमा शंकर सिंह)
सरकार के प्रभारी सचिव।

ज्ञापांक– 1511 राँची, दिनांक– 18/12/2024

प्रतिलिपि– निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय / माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/12/24

सरकार के प्रभारी सचिव।